न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– श्री राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 98/2018

उनवान

1. महावीर दत्तक पुत्र लालू जाति खारोल नि0 रामसर, नसीराबाद

—— वादी :– जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

——प्रतिवादी :– जरियें राज0 पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,188 राज. काश्त. अधि. 1955 व धारा 136 भू राज. अधि0 1956

–: निर्णय :– दिनांक :– 18-3-20

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम रामसर की निम्न आराजी वादी की पुश्तैनी खातेदारी की है :–

वंर्किंग खसरा नम्बर	रकबा	हाल खसरा नम्बर	रकबा
6846	1–3–0	8218/10079	0.18
6589	4–0–0	8265	0.65
6582	1–13–0	8275/10080	0.26
6478	3–10–0	8790/10078	0.14

उक्त आराजी वंर्किंग जमाबंदी में लालू पुत्र नारायण के नाम गैर खातेदारी से खातेदारी दर्ज की गयी। किन्तु वर्तमान राजस्व अभिलेख में लालू पुत्र नारायण के बजाय लादू पुत्र कालू गलती से अंकित कर दिया। लालू की मृत्यु हो गयी है व उसकी पत्नी सजनी की भी मृत्यु हो गयी है। लालू व सजनी ने अपने जीवन काल में वादी महावीर को गोद पुत्र स्वीकार कर गोदनामा वादी के पक्ष में निष्पादित कराया था। अतः आराजी मुतनाजा पर लादू पुत्र कालू का नाम दुरूस्त कर लालू पुत्र नारायण दर्ज किया जावे एवं वादी को उक्त आराजी का खातेदार घोषित किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरियें नोटिस तलब किया गया। राज0 पैरोकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि आराजी मुतनाजा भू संशोधन के द्वारा लादू पुत्र कालू के नाम मिसल बंदोबस्त में दर्ज है। वादी का वाद खारिज योग्य है।
प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गयी :–

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

क्या वादी महावीर लालू का दत्तक पुत्र है ?
—वादी

क्या आराजी मुतनाजा का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण होने से वादी खातेदारी प्राप्ति का अधिकारी है ?
— वादी

अनुतोष ?

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख पेश किये एव साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

राज0 पैरोकार ने जाहिर किया कि वादी अपना वाद स्वयं सिद्व करे।

बहस सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादी व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया। तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत् है :—

तनकी संख्या 1 व 2 :—

वादी का कथन है कि खातेदार लालू ने अपने जीवन काल में उसे जरियें पंजीकृत गोदनामा गोद लिया था। जिसके समर्थन में उसके द्वारा दिनांक 13.6.2000 को पंजीकृत गोदनामा पेश किया है। वादी द्वारा प्रस्तुत शजरा प्रमाण पत्र में भी लालू के वारिस सजनी पत्नी व वादी दत्तक पुत्र है। सजनी की भी मृत्यु हो गयी है। गोदनामें के अनुसार लालू व सजनी ने अपने जीवनकाल में वादी को गोद लिया था। उक्त गोदनामा पंजीकृत है जिसकी सत्यता से इकार नही किया जा सकता है किन्तु उक्त तनकी के विवेचन से पूर्व यह निर्धारित करना है कि क्या आराजी मुतनाजा का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण है।

आराजी मुतनाजा राजस्व अभिलेख में लादू पुत्र कालू जाति खारोल के नाम खातेदारी दर्ज है। वादी का कथन है कि उक्त इन्द्राज त्रुटिपूर्ण है व उक्त आराजी में लालू पुत्र नारायण का नाम दर्ज होना चाहिये था। किन्तु वादी द्वारा प्रस्तुत साबिक खसरा नम्बर की खसरा गिरदावरी अनुसार उक्त आराजी लादू पुत्र कालू को नियमन हुयी थी। वादी ने लादू पुत्र कालू को प्रकरण में पक्षकार मुर्तिब नही किया है। साथ ही वादी ने उक्त नियमन के विरूद्व कोई चाराजोही भी नही की है। वादी द्वारा अपने वाद में वर्तमान इन्द्राज को त्रुटिपूर्ण बताया है किन्तु उक्त कथन के समर्थन में कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही किये है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज से वादी के कथनों की ताईद नही होती है। अतः वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व नही होता है। ऐसी स्थिति में वादी जो लालू पुत्र नारायण का दत्तक पुत्र है, लादू पुत्र कालू के नाम दर्ज आराजी मुतनाजा पर खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी नही है।

अतः ग्राम रामसर के हाल खसरा नम्बर 8218/10079 रकबा 0.18, 8265 रकबा 0.65, 8275/10080 रकबा 0.26 व 8790/10078 रकबा 0.14 की आराजी पर वादीगण का वाद **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

महावीर बनाम राज0 सकार

दावा बाबत :— 88, 188 राज. का. अधि0 1955, 136 भू राज0 अधि0 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर — 98 / 2018
पेश करने की दिनांक — 02.07.2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू श्री राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस)—व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुद्दई व राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :—

ग्राम रामसर के हाल खसरा नम्बर 8218 / 10079 रकबा 0.18, 8265 रकबा 0.65, 8275 / 10080 रकबा 0.26 व 8790 / 10078 रकबा 0.14 की आराजी पर वादीगण का वाद **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज 18 माह 3 मार्च सन् **2020** को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2020.08.06 18:12:33 IST
Reason: SelfAttested
Location: